आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
14/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उभयपक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली में समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त हुई रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ हैं कि राजस्व रिकार्ड जंमाबदी के अनुसार प्रार्थी की भूमि संयुक्त खाता में है प्रार्थी अपने संयुक्त खाता का हिस्सा अनुसार बंटवारा राजस्व रिकार्ड में कर अपने हिस्सा को पृथक नहीं करवाया है तथा ना ही प्रार्थी आपस में परिवारजन है ऐसी स्थिती में अगर माननीय अदालत उक्त प्रकरण का निस्तारण करती हैं तो भी भविष्य में प्रार्थी के मध्य अपने संयुक्त खाते का पृथक विभाजन किए बिना उनमें उक्त रास्ते के सबन्ध में विवाद का अंतिम निपटारा नहीं होगा। न्यायालय को विनम्र मत में प्रार्थी के मध्य उनके हिस्से का पृथक–पृथक विभाजन होकर उनका पृथक–पृथक हिस्सा विनिर्शनत होने के उपरांत भी उक्त रास्ता संबंधी विवाद का अंतिम एवं पूर्व न्यायनिर्णय होना संभव है अतः इस अवस्था पर प्रार्थी को अनुतोष दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस अवस्था पर उक्त विवेचन के आधार पर निरस्त किया जाता है प्रार्थी खाता विभाजन के बाद रास्ते के संबंध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेगे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कम हो। सुरेश राय आरएएस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Rao Date: 2025.10.24 11:35:39 IST Reason: SelfAttested	